



सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0-372/2022

दिनांक- 08-नवम्बर-2022

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- रौनापार

चेकिंग के दौरान अवैध तमंचा व कारतूस के साथ एक गिरफ्तार

दिनांक- 08.11.2022 को उ0नि0 उमाशंकर मय हमराह द्वारा रौनापार क्षेत्र अन्तर्गत त्रुटि रहित चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान ग्राम गांगेपुर के कैची बन्धा से अभियुक्त दुर्गेश सिंह उर्फ गोलू सिंह पुत्र श्री शेषनाथ सिंह निवासी रैचन्दपट्टी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ को एक अदद तमंचा .315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ समय करीब 8.40 बजे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 375/2022 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त - दुर्गेश सिंह उर्फ गोलू सिंह पुत्र श्री शेषनाथ सिंह निवासी रैचन्दपट्टी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

बरामदगी- एक अदद तमंचा .315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री उमाशंकर मय हमराह थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

थाना- कोतवाली

जिला चिकित्सालय आजमगढ़ से पुलिस अभिरक्षा से फरार अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना – वादी मुकदमा उ0नि0 श्री मुरारी मिश्र चौकी प्रभारी बलरामपुर द्वारा मु0अ0सं0-395/2022 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली आजमगढ़ से सम्बन्धित अभियुक्त सूरज पुत्र विनोद निवासी तुरकौली थाना रौनापार आजमगढ़ जो जिला कारागार में निरुद्ध था, ईलाज के दौरान दिनांक 02.11.2022 समय 15.30 बजे दिन जिला चिकित्सालय आजमगढ़ से पुलिस अभिरक्षा से फरार हो जाने के आधार पर मु0अ0सं0 518/22 धारा 223/224 भादवि पंजीकृत होकर विवेचना निरीक्षक राजेश कुमार द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण -

दिनांक – 08.11.2022 को हे0का0 जितेन्द्र सोनकर, हे0का0 वृजेश यादव तथा हे0का0 सुधीर शर्मा अभियुक्त की तलाश करते हुए रोडवेज बस स्टैण्ड पर मौजूद थे कि सूचना मिली की जो अभियुक्त जिला अस्पताल से पुलिस अभिरक्षा से भागा था वो रोडवेज के पास बवाली मोड़ तिराहे पर खड़ा है, इस सूचना पर तत्काल रोडवेज के पास बवाली मोड़ तिराहे के पास खड़े एक व्यक्ति को घेर कर पकड़ लिया गया नाम पता पुछा गया तो अपना नाम सूरज उर्फ परविन्दर पुत्र विनोद निवासी तुरकौली थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ बताया । अभियुक्त की तस्दीक कर अभियुक्त को समय करीब 06.25 बजे गिरफ्तार किया गया ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण –

1. मु0अ0सं0-395/2022 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली आजमगढ़ विरुद्ध सूरज पुत्र विनोद निवासी तुरकौली थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

2. मु0अ0सं0 518/22 धारा 223/224 भादवि थाना कोतवाली आजमगढ़ ।

गिरफ्तार अभियुक्त - सूरज उर्फ परविन्दर पुत्र विनोद निवासी तुरकौली थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाले टीम का विवरण –

01. हे0का0 जितेन्द्र सोनकर, 02. हे0का0 वृजेश यादव 03. हे0का0 सुधीर शर्मा थाना कोतवाली आजमगढ़ ।

थाना- कोतवाली

चोरी की घटना का अनावरण, चोरी गये मोबाइल के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना – वादिनी मुकदमा श्रीमती अनीता सिंह ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया कि दिनांक 01/04/2022 को समय करीब 7:30 बजे सांय भंवरनाथ स्थित प्रतिष्ठान से घर आते समय रास्ते में बदरका रूक कर नवरात्रि का सामान ले रही थी, वहाँ से चौक पर पहुँचते ही फूल लिया एव भुगतान कर बैग स्कूटी पर टांगा था कि कोई अज्ञात व्यक्ति प्रार्थिनी की स्कूटी से प्रार्थिनी का बैग लेकर चला गया, बैग में प्रार्थिनी का मोबाइल सैमसंग गैलेक्सी A12 जिसकी IMEI NO-358099390058618 / 358198870058617 और प्रार्थिनी की सोने की 04 अंगूठी मूल्य लगभग 60,000/ रू0 और नगद लगभग 2700/ रू0 तथा अन्य कागजात एवं दुकान की चाभी आदि थी । उक्त के आधार पर मु.अ.स. 240/22 धारा 379,411 भादवि पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण - उ.नि. विजय कुमार सिंह हे.का. सन्तोष तिवारी द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्त भीष्म कुमार पुत्र स्व0 सुरेन्द्र कुमार सा0 मुजफ्फरपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ को चोरी की मोबाइल के साथ समय 10.45 बजे रोडवेज बस स्टैण्ड गेट न. 01 के पास से गिरफ्तार किया गया अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग- 1. मु0अ0सं0 240/2022 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली आजमगढ़ ।

गिरफ्तार अभियुक्त - 1. भीष्म कुमार पुत्र स्व0 सुरेन्द्र कुमार सा0 मुजफ्फरपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़

बरामदगी- 01 अदद एन्ड्रॉएड मोबाइल फोन बरामद

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाले टीम का विवरण –

1. उ.नि. विजय प्रताप सिंह हे0का0 संतोष तिवारी थाना कोतवाली आजमगढ़ ।